(राजस्थान–सरकार)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारी सुदर्शन सिंह तोमर (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 21/2017

बउनवान

नन्दकिशोर आयु 55 वर्ष पुत्र श्री प्रताप कलाल निवासी जैपला तहसील छबडा जिला बारॉ

(अपीलांट)

बनाम

1– पार्वती पुत्री रतना पत्नी धर्मेन्द्र जाति बेडिया निवासी भीलवाडा ऊंचा तहसील छबडा हाल निवासी भार्गव कॉलानी गुना (म.प्र.)

2– राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, छबडा

(रेस्पोडेन्ट)

अपील विरूद्ध तहसीलदार छबडा द्वारा प्रकरण संख्या 11/2016 में पारित आदेश दिनांक 15.05.2017 अन्तर्गत धारा 183 (बी) आर.टी.एक्ट

उपस्थित :– 1– श्री सत्येन्द्र शर्मा अभिभाषक **(अपीलांट)**

2– श्री कृष्ण गोपाल भार्गव अभिभाषक **(रेस्पोडेन्ट)**

निर्णय दिनांक 08.08.2019

अपीलांट द्वारा जर्ये विद्वान अभिभाषक अपील इस न्यायालय मे तहसीलदार छबडा द्वारा प्रकरण संख्या 11/2016 में अन्तर्गत धारा 183 (बी) आर.टी.एक्ट बउनवान पार्वतीबाई बनाम नन्दकिशोर मे पारित आदेश दिनांक 15.05.2017 के विरूद्व रेस्पोडेन्ट के प्रस्तुत की गई।

इस पर प्रस्तुत अपील को दिनांक 22.05.2017 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर, अधीनस्थ न्यायालय से मूल पत्रावली तलब की गई। रेस्पोडेन्ट को जर्ये सम्मन तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट जर्ये अभिभाषक उपस्थित रहा है। अधीनस्थ न्यायालय से मूल पत्रावली प्राप्त होने पर प्रकरण मे बहस उभयपक्ष की सुनी गई।

अपीलांट के अभिभाषक द्वारा दौराने बहस प्रस्तुत अपील के तथ्यों को दौहराते हुये कथन किया कि ग्राम भीलवाडा तहसील छबडा के माल मे आराजी खसरा नम्बर 347 रकबा 02 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नम्बर 348 रकबा 3 बीघा 13 बिस्वा अवस्थित है। उक्त आराजियात सरकारी कागजात भू–राजस्व रिकार्ड मे रेस्पो0 के खाते दर्ज है। उक्त आराजियात पर अपीलांट व उसके पूर्वजो का अर्सा करीब 80 साल से कब्जा चला आ रहा है। अधीनस्थ न्यायालय ने न्याय आपके द्वार केम्प जैपला मे प्रतिवादी/अपीलांट को बिना सुनवाई के उक्त निर्णय पारित किया है, जो खिलाफ कानून एवं पत्रावली पर मौजूद कानून के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

यह कि वादी रतना द्वारा जो दावा/ प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, जो गलत एवं मनगढन्त आधारो पर पेश किया है तथा न्यायालय को गुमराह किया गया है हकीकत यह है कि रेस्पो0 के पिता रता ने अपीलांट के पिता प्रताप आत्मज कालू जाति कलाल निवासी भीलवाडा नीचा के विरूद्व सन् 1985 मे पेश किया था। जिसका मिसल नम्बर 122/85 जिसका निर्णय दिनांक 2.3.1987 को हुआ ओर रेस्पो0 के पिता रतना का दावा बेरूनमियाद होना मानकर खारिज किया गया।

यह कि रेस्पो के पिता रतना ने उक्त निर्णय की अपील न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी के न्यायालय मे पेश की जिसका मिसल नम्बर 216/94 है, इस अपील का निर्णय भी दिनांक 26.3.1997 को हुआ ओर रेस्पो0 के पिता की अपील खारिज कर दी गई ओर अधीनस्थ न्यायालय एस.डी.ओ. छबडा का निर्णय बहाल रखा।

यह कि उक्त आराजी पर अपीलांट व उसके पूर्वजो का करीब 80 साल से बदस्तूर कब्जा काश्त चला आ रहा है अपीलांअ के पिता की मृत्यु के पश्चात अपीलांट का कब्जा बदस्तूर निरन्तर बिना किसी बाधा के चला रहा है। उक्त आराजी पर अपीलांट के परिवारजन का कब्जा बदस्तूर सम्वत् 2012 से पूर्व का चला आ रहा है, जो सर्किल जेपना के आई.एल.आर. द्वारा जमाबंदी मे अंकित किया हुआ है।

यह कि रेस्पो0 ने अधीनस्थ न्यायालय मे सही तथ्यों को अंकित नही कर अधीनस्थ न्यायालय को गुमराह किया है उक्त वाद पूर्व मे मेरिट के आधार पर न्यायालय एस.डी.ओ. द्वारा खारिज किया जा चुका है। जिसकी रेस्पो0 ने आर.ए.ए. मे अपील की थी, जो खारिज की जा चुकी है। अस्तु उक्त कार्यवाही एस्टोप्ड की श्रेणी मे आने से खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपीलांट द्वारा इस न्यायालय मे प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार छबडा द्वारा प्रकरण संख्या 11/2016 में अन्तर्गत धारा 183 (बी) आर.टी.एक्ट बउनवान पार्वतीबाई बनाम नन्दकिशोर मे पारित आदेश दिनांक 15.05.2017 खारिज फरमाया जावे।

इसके विपरीत रेस्पोडेन्ट के अभिभाषक द्वारा कहा गया कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार छबडा द्वारा प्रकरण संख्या 11/2016 में अन्तर्गत धारा 183 (बी) आर.टी.एक्ट बउनवान पार्वतीबाई बनाम नन्दकिशोर मे पारित आदेश दिनांक 15.05.2017 नियमानुसार विधी के विधिक प्रावधानो के अन्तर्गत पारित किया गया है। जिसमे किसी भी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नही की गई है। उक्त समस्त आराजी रेस्पोडेन्ट के खातेदारी की है। अतः अपीलांट द्वारा जर्ये विद्वान अभिभाषक इस न्यायालय मे प्रस्तुत अपील खारिज फरमाई जावे।

हमने प्रकरण मे उभयपक्ष के अभिभाषकगण की बहस सुनी। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार छबडा द्वारा प्रकरण संख्या 11/2016 मे अन्तर्गत धारा 183 (बी) आर.टी.एक्ट के तहत बउनवान पार्वतीबाई बनाम नन्दकिशोर मे पारित आदेश दिनांक 15.05.2017 एवं सम्पूर्ण अधीनस्थ न्यायालय की सम्पर्ण पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया जाकर, मनन किया गया है। जिससे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार छबडा मे अपीलांट को सुनवाई का पूर्ण अवसर मिला है, अपीलांट स्यंय मय अभिभाषक उपस्थित रहा है ओर दि. 29.8.2016 को जवाब प्रस्तुत किया गया है। अपीलांट की उपस्थिति के अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे दि. 15.5.2017 को हस्ताक्षर हो रहे है। उक्त एक ही प्रकरण, एक ही न्यायालय, मे समान पक्षकोरो के होते हुये 2 बार निर्णित नही हुआ है। जबकि न्यायालय के नाम एवं पक्षकारान के नाम पृथक–पृथक जैसे तहसील, एस. डी.ओ. एवं आर.ए.ए. आदि रहे है, इसी प्रकार पक्षकार भी पार्वतीबाई/नन्दकिशोर, रतना/प्रताप आदि रहे है।

अपीलांट नन्दकिशोर पुत्र प्रताप जाति कलाल निवासी जैपला तहसील छबडा कब्जे के आधार पर वादग्रस्त आराजी में कोई हक व हिस्सा प्राप्त करना चाहता है, तो उसे सक्षम न्यायालय में नियमित वाद प्रस्तुत करके ही कोई अनुतोष प्राप्त करना चाहिये था। अन्तर्गत धारा 183 (बी) आर.टी.एक्ट की प्रस्तुत अपील की कार्यवाही में किसी के हित व स्वत्व निहित नहीं किये जा सकते हैं।

अतः परिणाम स्वरूप अपीलांट द्वारा जर्ये विद्वान अभिभाषक इस न्यायालय मे प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार छबडा द्वारा प्रकरण संख्या 11/2016 मे अन्तर्गत धारा 183 (बी) आर.टी.एक्ट के तहत बउनवान पार्वतीबाई बनाम नन्दकिशोर में पारित निर्णय दिनांक 15.05.2017 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 08.08.2019 को हमारे द्वारा लिखाया जाकर, सरे इजलास सुनाया गया।

(सुदर्शन सिंह तोमर)
अति0 जिला कलक्टर, बारां

Signature Not Verified
Digitally signed by Sudarshan Singh Tomar
Date: 2019.08.16 15:41:49 IST
Reason: SelfAttested
Location: